



# शाहजहांपुर पुलिस



**प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 16.10.2024**

**SWAT, सर्विलांस व थाना रोजा पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी**

**“SWAT, सर्विलांस सेल व थाना रोजा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 25000 रुपये का इनामिया गैंगस्टर रजनीश उर्फ चौसा अभियुक्त को किया गिरफ्तार”**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल प्रयत्न में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रोजा पर पंजीकृत मु०अ०स० 452/24 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप नि०अधि० 1986 में 31/07/2024 से वांछित चल रहे अभियुक्त रजनीश उर्फ चौसा पुत्र कल्लू निवासी मो० आई टी आई कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 16/09/2024 को पुरस्कार राशि 25000 रु० घोषित की गयी थी को आज दिनांक 16/10/2024 को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 09.30 बजे अटसलिया पुल के नीचे से थाना रोजा पुलिस व एस०ओ०जी० की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## **संक्षिप्त विवरण :-**

दिनांक 31/07/2024 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार की सूचना के आधार पर थाना रोजा पर मु०अ०स० 452/2024 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप नि०अधि० 1986 बनाम 1. कुन्दन पुत्र स्व० रामशरण निवासी ग्राम बल्लिया थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 22 वर्ष 2. मोहित पुत्र पप्पू उर्फ बृजकिशोर पाल निवासी मठिया कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 22 वर्ष 3. रजनीश उर्फ चौसा पुत्र कल्लू निवासी मो० आई टी आई कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 22 वर्ष पंजीकृत होकर विवेचना हस्तादेश श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के थानाध्यक्ष सेहरामऊ दक्षिणी द्वारा सम्पादित की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त रजनीश उर्फ चौसा पुत्र कल्लू निवासी मो० आई टी आई कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर दिनांक 31/07/2024 से 31/07/2024 से वांछित चला रहा था, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 16/09/2024 को पुरस्कार राशि 25000 रु० घोषित की गयी थी, आज दिनांक 16/10/2024 को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 09.30 बजे अटसलिया पुल के नीचे से प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मय फोर्स व एस०ओ०जी० की संयुक्त टीम द्वारा वांछित अभियुक्त रजनीश उर्फ चौसा उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

## **गिरफ्तार अभियुक्त :-**

1. रजनीश उर्फ चौसा पुत्र कल्लू निवासी मो० आई टी आई कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर

## **पंजीकृत अभियोग :-**

1. मु०अ०स० 452/2024 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप नि०अधि० 1986 थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर

## **गिरफ्तारी स्थान व समय :-**

1. दिनांक 16/10/2024 समय करीब 09.30 बजे अटसलिया पुल के नीचे से

## **अपराधिक इतिहास :-**

1. मु0अ0स0 298/24 धारा 380, 411, 414, 457 भा.द.वि थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 300/2024 धारा 380,457,411 भा.द.वि. थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर
3. मु0अ0सं0 452/2024 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप नि०अधि० 1986

### निगरानी मे लेने वाली पुलिस टीम :-

#### **एस0ओ0जी0/SWAT टीम**

1. निरीक्षक धर्मेन्द्र (एस0ओ0जी0 प्रभारी )
2. हे0का0 सुशील शर्मा (एस0ओ0जी0)
3. है0का0 खालिद हुसैन(एस0ओ0जी0)
4. है0का0 तौसीम हैदर(एस0ओ0जी0)
5. है0का0 दिलीप कुमार(एस0ओ0जी0)
6. है0का0 उदय वीर सिंह
7. है0का0 चालक कपिल ठाकुर(एस0ओ0जी0)
8. का0 कमल(एस0ओ0जी0)

#### **थाना रोजा पुलिस टीम**

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ( थाना रोजा )
2. रि0म0उ0नि0 आशा रानी ( थाना रोजा )
3. का0 2308 कप्तान कुमार ( थाना रोजा )

#### **सर्विलांस सेल**

1. का0 शिवम कुमार
2. का0 प्रभात चौधरी
3. का0 सचिन यादव
4. का0 मुकुल खोखर